निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या- 73 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1), लोक निर्माण वभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1), लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के माह 05/2015 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजेश कुमार सन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी तथा श्री सत्यवीर संह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08/01/2018 से 12/01/2018 तक में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः

1. इस कार्यालय की वगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12/05/2015 से 15/05/2015 तक में सम्पन्न हुई थी जिसमें कार्यालय के माह 08/2012 से 04/2015 तक के लेखा भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2015 से 12/2017 तक के लेखा भलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।
2. इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः लोक निर्माण वभाग जिला पौड़ी, गोपेश्वर, एवं रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य का अनुश्रवण का कार्य।
3. वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय
1.	2014-15	2059-80-001-03-00	222.24	221.25
2.	2015-16	2059-80-001-03-00	176.03	175.57
3.	2016-17	2059-80-001-03-00	162.20	159.09
4.	2017-18 (12/2018 तक	2059-80-001-03-00	139.84	132.65

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	अ धक्य (+) `बचत (-) `
2014-15		शून्य			
2015-16					
2016-17					
2017-18 (12/2018 तक					

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य शासन द्वारा कया जाता है। इकाई में मुख्यतः स्थापना व्यय है एवं इकाई -स श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष,लोक निर्माण वभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता स्तर-1, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (गढ़वाल क्षेत्र) लोक निर्माण वभाग, पौड़ी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (गढ़वाल क्षेत्र) लोक निर्माण वभाग, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

-शून्य-

भाग-II (ब)

प्रस्तरः1- मुख्य अ भयंता के अनुशंसा के बाद भी कार्य संपादित नहीं होना

नंदादेवी राजजात के अंतर्गत घाट-थराली मोटर मार्ग का सुधारिकरण, सुधढ़ीकरण एवं डामरीकरण (3.5 कलोमीटर) के कार्य के 30 नवम्बर 2012 को रु 6.02 करोड़ की स्वीकर्ति प्रदान की गयी थी। मार्ग के लये प्र व धक स्वीकर्ति रु 6.02 करोड़ की लागत से 30 जनवरी 2013 को प्रदान की गयी थी । इसके लये गठित अनुबंध की लागत एवं ति थ क्रमशः रु 4.99 करोड़ एवं दिनांक 7 फ़रवरी 2013 थी । कार्य प्रारम्भ एवं समापन की ति थ क्रमशः 7 फ़रवरी 2013 एवं 26 नवम्बर 2013 थी परंतु समय व्रद् ध के बाद कार्य समापन की वास्त वक ति थ 31 मार्च 2016 थी ।

मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1), लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के द्वारा निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण (दिनांक 27 अगस्त 2016) से ज्ञात होता है क तकनीकी स्वीकृति के इस मार्ग पर 22 पक्के एवं 16 कच्चे स्कपर का निर्माण तथा 15 नग पुराने स्कपर का वस्तार कया जाना था परन्तु इसके सापेक्ष केवल 15 पक्के स्कपर कये गये थे जब क न ही कच्चे स्कपर का निर्माण और न ही कसी भी पुराने स्कपर का वस्तार कया गया था । **Cross drainage** के कार्य को भी अधूरा छोड़ दिया गया था । मुख्य अ भयंता के द्वारा इसे **Breach of Contract** की संज्ञा दी गयी थी और ठेकेदार को काली सूची मे डालने लायक माना गया था ।

कार्यालय द्वारा उत्तर मे बताया क कुल 25 पक्के स्कपर का निर्माण कया गया था जो क प्रावधानित 53 नग स्कपर (22 पक्के स्कपर, 16 कच्चे स्कपर का निर्माण तथा 15 नग पुराने स्कपर का वस्तार) से 28 नग कम है । इस प्रकार, **cross drainage** से संबन्धित छोड़े गये अधूरे कार्य पर कोई उत्तर नहीं दिया गया था । ठेकेदार को काली सूची मे डाले जाने के अनुशंसा के वपरीत, ठेकेदार को समयव्रद् ध प्रदान की गयी थी जो की अनुशंसा के वपरीत है ।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-**2** वत्तीय स्वीकृति से अ धक व्यय कया जाना:- रू **48.00** लाख

कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1) लोक निर्माण वभाग, पौडी के द्वारा निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कया जाता है और निर्माण कार्य के गुण-दोषो के आधार पर प्रतिवेदन निर्गत की जाती है। नमूना जाँच में नीचे लखें कार्य पर मुख्य अ भयन्ता द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन के उदेश्य से जाँच कए गए।

पौडी-देवप्रयाग वैकल्पिक मार्ग के निर्माण के लए रू 4.60 करोड की रा श 20 मार्च 2013 को स्वीकृत की गयी थी। इसकी प्र व धकी स्वीकृति 26 सतम्बर 2013 को प्रदान की गयी थी। मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1) लोक निर्माण वभाग पौडी के द्वारा इस कार्य का निरीक्षण दिनांक 23 अप्रैल 2016 को कया गया था और यह पाया गया था क उपरोक्त मार्ग पर डामरीकरण का कार्य वर्ष 2014 में पूर्ण कर लया गया था परन्तु मार्ग के कमी 4.00 पर लगभग 175 मीटर के लम्बाई में PC की सतह उखड गयी थी और मार्ग 23 अप्रैल 2016 यथा निरीक्षण की ति थ तक **Defect Liabilities Period** के अन्तर्गत थी। निरीक्षण प्रतिवेदन में यह उल्लेख कया गया था यदि ठेकेदार द्वारा मार्ग का सुधार नही कया जाता है तो मार्ग का निर्माण स्वंय के व्यय पर करने के बाद ठेकेदार के **Security Deposit** से कया जाए। निरीक्षण प्रतिवेदन में इस तथ्य का भी उल्लेख कय गया है क इस मार्ग पर जगह-जगह पत्थर निकलने से मार्ग के पीसी की सतह क्षतिग्रस्त हो गयी थी। इस क्रम में मुख्य अ भयन्ता के द्वारा यह निर्देश दिया गया था क सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा जिन स्थानों पर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था उन पर पीसी से सतह का पुन निर्माण कराया जाए।

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए उत्तर से ज्ञात होता है क उपरोक्त त्रुटि को ठेकेदार द्वारा **Defect Liabilities Period** के अन्तर्गत ठीक करा लया गया था। सम्बन्धित खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए उत्तर से यह भी ज्ञात होता है क कार्य के लए स्वीकृत वत्तीय लागत रू 4.60 करोड के सापेक्ष रू 5.08 करोड (जिसकी सूचना कार्यालय मुख्य अ भयन्ता के अ भलेख में उपलब्ध नही थी।) की रा श व्यय की गयी थी जो क वत्तीय स्वीकृति से रू 0.48 करोड (10.43 प्रतिशत) अ धक थी और इसकी स्वीकृति उच्च धकारियों से प्राप्त की गयी थी, के सम्बन्धित सूचना अ भलेख से ज्ञात नही होता है।

अतः वत्तीय स्वीकृति से अ धक व्यय के प्रकरण कों संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1- कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत पद से अ धक की पदस्थापना

कार्यालय मुख्य अ भयन्ता, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी में कनिष्ठ सहायक के चार पद स्वीकृत हैं और इसके सापेक्ष पाँच कनिष्ठ सहायक पदस्था पत है जिससे एक कनिष्ठ सहायक स्वीकृत पद से अ धक पदस्था पत हैं। कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2016 से इस पद पर आ धक्य है और इसके कारण `5,12,928.00 की रा श का भुगतान वेतन एवं भत्तो पर कया गया है।

अतः स्वीकृत पद से अ धक पदस्थापना के प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर	
	भाग-2अ	भाग-2ब
11/2015-16	शून्य	प्रस्तर-1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

कार्य के उत्तर के अनुसार, आख्या अगले लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अ भयन्ता 12वां वृत लोक निर्माण वभाग, पौड़ी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताऐः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अधीक्षण अ भयन्ताओ कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	पदाव ध
1.	श्री आर. सी. पुरोहित	मुख्य अ भयन्ता	07.12.2013 से 13.07.2015 तक
2.	श्री लोकेश कुमार शर्मा	मुख्य अ भयन्ता	13.07.2015 से 31.07.2017 तक
3.	श्री ओम प्रकाश	मुख्य अ भयन्ता	01.08.2017 से अबतक (अधीक्षण अ भयन्ता, 12वां व्रत, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के कार्यभार संभाल रहे है।)

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

लागू नहीं

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1), लोक निर्माण वभाग, पौड़ी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा)उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

व.लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक क्षेत्र-2